राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3034/2021

महेन्द्र सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.08.2021
आदेश की दिनांक : 21.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निरीक्षक के पद पर पुलिस स्टेशन उदय मंदिर, जोधपुर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी की नियुक्ति सहायक उप निरीक्षक के पद पर दिनांक 24.01.2004 को राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम–1989 के तहत हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.09.2018 (अनुलग्नक–2) के द्वारा वर्ष 2011–12 की रिक्ति के विरूद्ध उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.11.2019 (अनुलग्नक–3) के द्वारा उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पदोन्नति हेतु 120 रिक्ति पदों के लिए वर्ष 2019–20 हेतु विज्ञापन जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.12.2019 (अनुलग्नक–4) के द्वारा पात्रता सूची जारी की। जिसमें अपीलार्थी का नाम 212 पर अंकित था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2019 (अनुलग्नक–5) के लिए निरीक्षक के पद हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अपीलार्थी को शामिल किया गया था। अपीलार्थी द्वारा समस्त विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण होने के बावजूद अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 31.12.2019 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का पदोन्नति में चयन कर लिया गया।

जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 27.12.2019 (अनुलग्नक–6) प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2019 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्ष 2019–20 की रिक्ति के विरूद्ध निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने के आदेश फरमाये जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावें। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष